



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-09.11.2023

**"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मार-पीट व धमकी देने के मामले में
अभियुक्तगण को 1-1 वर्ष के कारावास एवं 1-1 हजार रु० के अर्थदण्ड की सजा**

थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-274/16 धारा-354,354-ए,323,452,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.प्रेम पटेल पुत्र स्व० लक्ष्मण पटेल व 2.विनोद पटेल पुत्र स्व० लक्ष्मण पटेल निवासीगण-नई बस्ती लहरतारा थाना मंडुवाडीह, वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मंडुवाडीह व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्या० पॉक्सो-II वाराणसी द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 452 भादवि मे 1-1 वर्ष कारावास तथा धारा 323 भादवि मे 1-1 वर्ष कारावास व 1000-1000/- रु० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी**